(1)

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड ,बीकानेर राजस्थान

क्रमांक :F-4 ( )/मगसविबी/सा.प्र./विविध निविदा /2018/ 13805 दिनांक : 20.8.18

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं ,जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क रू
1	विभिन्न समारोहों हेतु डोम टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
2.	विभिन्न समारोहों हेतु टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
3.	माइक्रोसॉफ्ट अधिकृत फर्मों द्वारा कैंपस रिन्यूअल	3.65	7,300/-	200/-
4.	कैंटीन एवं अतिथि गृह संचालन	9.00	18,000/-	200/-
5.	फ्लेक्स प्रिंटिंग व आपूर्ति	3.00	6,000/-	200/-

नोट : 1.बिना धरोहर राशि, सशर्त,अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. उक्त कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर प्रथक रूप से निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित उपरोक्तानुसार 30.08.18 दिनांक को मध्यान्ह 1:00 बजे तक कुलसचिव कक्ष में जमा की जायेंगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी 3.अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4.निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.mgsubikaner.ac.in** एवं **http:// sppp .rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है , उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।

कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

विषयः– विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षान्त समारोह एवं अन्य विशेष समारोह हेतु डोम संरचना में वाटरप्रूफ टेन्ट टैन्टेज (मंच, पण्डाल) मय लाईट, पंखें, ए.सी., कुर्सियों–कनात इत्यादि की व्यवस्था हेतु निविदा।

सन्दर्भः– विश्वविद्यालय की निविदा सूचना क्रमांक 1380/ दिनांक 20.8.18

निविदा–पत्र

कार्य का नाम	डोम टेंट व्यवस्था	निविदा फॉर्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की दिनांक	30.8.18 मध्यान्ह 01:00 बजे तक
निविदा क्रमांक	दिनांक 1380/ | 20.8.18		
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	डोम टेंट व्यवस्था : रु.8,00,000/-, रु. 16,000/-	निविदा खोलने की दिनांक	30.8.18 03:00 बजे तक

1. .....(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम (मय दूरभाष/मो.न.) .....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या.....(प्रति संलग्न है।)
4. किनको सम्बोधित किया गया.....
5. संदर्भ.....
6. निविदा शुल्क की राशि .....नकद रसीद.....एवं दिनांक.....द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या.....के द्वारा जमा करा दी गई है ।

7. हम.................................द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ..... में वर्णित सभी षर्तों से तथा संलग्न षीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)

8. उपर उद्धत की गई दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

9. बैंक ड्राफ्ट /बैंक चैक संख्या.....................जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। दिनांक ....रूपये ....के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।

10. पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. वित्तीय बिड में अंकितानुसार कार्य एवं सामान व मजदूरी एंव समस्त व्ययों सहित दरें अंकित कर दिया गया है ।

12. निर्धारित घोषण पत्र संलग्न है।

13. जी एस टी प्रमाण पत्र ,पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न दिया गया है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

निविदाकार के हस्ताक्षर दिनांक

फर्म का नाम...

एवं डाक का पूरा पता...

पता...

....

मोबाईल नं0 ....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Kuldeep Jain

(6)

निविदा एवं संविदा की शर्तें

1. निविदायें टेन्ट संबंधी कार्य करने वाले अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायियों से आमंत्रित की जाती है। निविदादाता का स्वयं का टेन्ट व्यवसाय एवं पर्याप्त संसाधन होने चाहिये।
2. निविदादाता फर्म के पास राजकीय विश्वविद्यालयों के एक या अधिक दीक्षान्त समारोह के आयोजन हेतु डोम संरचना में वाटरप्रूफ टेन्ट लगाने का अनुभव भी होना आवश्यक है। अधिक अनुभव रखने वाली फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
3. निविदा प्रारूप में दरों का अंकन शब्दों व अंकों दोनों में किया जाना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से करनी चाहिए तथा उस पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
4. अंकों एवं शब्दों में अंकित दरों में अन्तर होने की स्थिति में सबसे कम दर को मान्य किया जायेगा।
5. फर्म के पास डोम संरचना में वाटरप्रूफ टेन्ट लगाने के संसाधन होना आवश्यक है।
6. फर्म को कार्यादेशानुसार एवं इस हेतु गठित समिति के निर्देशानुसार कार्य करना होगा ।
7. निविदा में दी गई दरों में सभी प्रकार के सामान का किराया एवं उसका लाना, लगाना तथा समारोह के पश्चात् सामान को हटाना व वापिस ले जाना, इत्यादि सभी कार्य शामिल हैं । सभी सामान की सुरक्षा एवं उसकी चौकीदारी की जिम्मेदारी भी निविदादाता की ही होगी । इस हेतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जावेगी अथवा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।
8. निविदादाता को सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे धूप, तेज वर्षा (वाटर प्रूफ) हवा, आंधी इत्यादि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंडाल को सभी दृष्टि से पूर्णरूपेण मजबूत एवं सुरक्षात्मक बनाना होगा ताकि समारोह के दौरान एकाएक किसी प्रकार का व्यवधान, दुर्घटना उत्पन्न न होवे । कार्य प्रारम्भ करने से लेकर एवं पंडाल लगाने के बाद से समारोह समाप्ति तक निविदादाता के कम से कम 10 कार्मिक तकनीकी स्टाफ पांडाल में ही मौजूद रहेंगे, जिन्हें प्रत्येक दिन तीन बार (सुबह, दोपहर और सायं) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध हो सकें ।
9. विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में नजदीकी इलेक्ट्रिक पाइन्ट उपलब्ध हैं, उसके आगे की समस्त वायरिंग आवश्यकतानुसार पूरे पांडाल में पूर्ण सुरक्षात्मक तरीके से दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत विद्युतकर्मी के द्वारा सभी सुरक्षात्मक मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए निविदादाता को ही सुनिश्चित करनी होगी। विद्युत व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा । समस्त वायरिंग को सावधानीपूर्वक लगाना होगा। फर्श पर होने वाली वायरिंग को टेप (इंसुलेशन) लगाकर सुरक्षित करना होगा।
10. विद्युत कार्य संबंधी लापरवाही/असावधानी (स्पार्किंग) आदि से होने वाली दुर्घटना के लिए निविदादाता की ही जिम्मेदारी होगी। इस तरह की दुर्घटना के परिणामस्वरूप यदि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति अथवा जान–माल की कोई क्षति होती है तो उसकी समस्त क्षतिपूर्ति फर्म द्वारा की जावेगी।टेन्ट सामग्री के कराए जाने वाले बीमें की राशि का भुगतान भी फर्म द्वारा ही किया जावेगा।
11. समस्त सामान एकदम साफ सुथरा व नया तथा मजबूत ही प्रयोग में लेना होगा, गन्दा, फटा हुआ अथवा पैबन्द लगा हुआ या पुराना नहीं लगाया जा सकेगा, अन्यथा भुगतान देय नहीं होगा।
12. पीने के पानी की व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा परन्तु पीने के पानी के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर टेबिल मय सफेद साफ कवर उपलब्ध कराना होगा।
13. पंडाल में लगाये गये एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये समस्त सामान का सत्यापन पंडाल निरीक्षण समिति के विस्तृत प्रमाणीकरण बाद ही तदनुसार बिल का भुगतान संभव होगा ।

Kuldeep Jain

14. समारोह की व्यवस्था एवं समारोह के दौरान निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधी की गलती से विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार क्षति/आर्थिक हानि होती है तो उसकी वसूली निविदादाता की सुरक्षा राशि तथा आवश्यकता पड़ने पर बिल की राशि से की जा सकती है।

15. समस्त कार्य संतोषप्रद सम्पन्न होने की स्थिति में ही पंडाल निरीक्षण समिति के सत्यापन के आधार पर बिल का भुगतान किया जा सकेगा ।

16. किसी भी प्रकार की विवादस्पद स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

17. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

18. निविदा में अंकित दर/व्यय में अनुमोदन बाद किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा ।

19. किसी भी निविदा अथवा उसके भाग को बिना कोई कारण बताये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकारी कुलसचिव को आरक्षित है ।

20. न्यूनतम दर/व्यय पर कार्य कराने के लिये विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है ।

21. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा बीकानेर स्थित न्यायालयों में ही की जावेगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

22. सफल निविदाकार को दरों के अनुमोदन पश्चात् तीन दिवस नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। इसके अभाव में अमानत/बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।

23. कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में निम्न प्रकार से शास्ती राशि संवेदक के बिल से वसूली योग्य है:–
    1. निर्धारित समय से (अवधि विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत
    2. निर्धारित समय से (अवधि से अधिक व) अवधि तक 5 प्रतिशत
    3. निर्धारित समय से) अवधि से अधिक व = अवधि तक 7) प्रतिशत
    4. निर्धारित समय से = अवधि से अधिक के लिये 10 प्रतिशत

24. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में तथा पूर्णरूपेण नहीं किये जाने की स्थिति में कुलपति महोदय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती बिल की राशि में से/धरोहर राशि में से की जावेगी।

25. यदि किसी परिस्थितिवश सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश मिलने के पश्चात् कार्य करने में असमर्थ रहता है तो नियमानुसार सुरक्षा राशि/बयाना राशि जब्त की जावेगी।

26. सफल निविदाकार द्वारा कार्य सम्पन्न न करने की स्थिति में निविदाकार की रिस्क एवं कोस्ट के आधार पर कार्य अन्य से कराने पर हुए अधिक भुगतान की वसूली भी निविदाकार की जावेगी।

27. सफल निविदाकार को दरे अनुमोदित होने के तीन दिवस में अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होंगे जिसमें बयाना राशि के रूप में जमा राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

28. कारपेट की दरें भरते समय प्रति कारपेट व साईज का अंकन अवश्य किया जाना है।

29. लाईटे निर्धारित स्थान पर दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत लाईटमैन द्वारा लगाई जावेगी किसी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

30. कार्यादेश में अंकित सामग्री आदेश देने के पश्चात् दीक्षान्त समारोह की निर्धारित तिथि से 07 दिवस पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुँचाकर कार्य प्रारम्भ कर एवं निर्धारित अवधि में व्यवस्था करनी होगी। सामग्री उतारने व लगाने में कोई दुर्घटना, चोरी आदि से हुई हानि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, उचित यही होगा कि निविदादाता टेन्ट लाईट सामग्री आदि का बीमा अपने स्तर पर करवा लेवे इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी।

    अनुमोदित फर्म को आदेश मिलने पर सात दिवस पूर्व डोम टेंट व्यवस्था कार्य आरम्भ करते हुए आयोजित समारोह से एक दिवस पूर्व प्रात: 10:00 बजे तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा ताकि समयानुसार निरीक्षण करते हुए पाई गयी कमियों को दूर कर निर्धारित समयावधि में कार्य

सुनिश्चित किया जा सके । फर्म की मदवार दरों का भुगतान केवल समारोह आयोजित होने वाले दिवस का ही देय होगा।

(3)

31. कार्य समाप्त होने पर निविदादाता द्वारा लगाए गए श्रमिकों को श्रम विभाग के नियमों के अन्तर्गत पूर्ण भुगतान करने का प्रमाण पत्र देना होगा तथा बाल श्रमिक नहीं लगायेंगे।

32. प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री (ए.सी,कूलर,पंखे,सोफा, कुर्सियां, स्टील कुर्सियां एवं टेबल इत्यादि) नई, मजबूत एवं साफ–सुथरी, समारोह की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। सामग्री, उपकरण इत्यादि समारोह की गरिमा के अनुरूप नहीं पाये जाने पर तुरन्त बदलने होंगे।

33. नियमानुसार करो की कटौती बिल से की जावेगी।

34. सामान्यतया बिड की समस्त मदों की कुल न्यूनतम राशि के आधार पर न्यूनतम बिडदाता का निर्धारण किया जावेगा। फिर भी क्रय समिति न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किए जाने हेतु बाध्य नहीं है। किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द कर सकेगी।

35. वित्तीय बिड के कॉलम संख्या 04 में अंकित मात्रा अनुमानित है इसमें आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

36. कार्यक्रम के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर जनरेटर व जनरेटर को चलाने की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर तुरन्त जनरेटर को चालू करना होगा।

37. निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड करने की स्थिति में निविदा फॉर्म के शुल्क की राशि का ड्राफ्ट जो कुलसचिव, मगसिविबी, बीकानेर को देय हो संलग्न करना होगा।

38. **वित्तीय बिड का लिफाफा अलग से बन्द कर उस पर वित्तीय बिड अंकित करना आवश्यक है। निविदादाता को पृथक–पृथक सील्ड लिफाफों में पृथक तकनीकी बिड व वित्तीय बिड देनी होगी। दोनों लिफाफे को पृथक से अन्य लिफाफे में सील्ड करके लिफाफे पर कार्य का नाम अंकित भी करना होगा।**

39. अनुमोदित निविदादाता को समारोह स्थल पर दीक्षांत समारोह आयोजन हेतु गठित दीक्षांत समिति के निर्देशन में की जाने वाली डॉम टेंट रुपी पांडाल व्यवस्था के अनुरूप उपयुक्त क्षमतानुसार माइक, साउंड सिस्टम एवं डिस्प्ले एल.ई.डी की व्यवस्था करनी होगी ।

40. तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने वाले निविदादता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

41. जनरेटर सैट के डीजल उपयोग के लिए हावर्स (घण्टे) प्रभारी अधिकारी को समय–समय पर नोट कराना होगा तथा संलग्न लॉग बुक भी संधारित करनी होगी। उसी के सत्यापन के आधार पर ही डीजल की सरकारी दर से राशि का भुगतान होगा।

42. पंडाल में वी.आयी.पी टॉयलेट की व्यवस्था फर्म द्वारा की जानी है जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा

43.. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम 2013 की शर्तों एवं विश्वविद्यालय बजट एवं लेखा नियम 1997 की अन्य सभी शर्तें लागू होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

फर्म का नाम.....
एवं डाक का पूरा पता.....
पता.....
.....
मोबाईल नं0 .....

Kuldeep Jain

(6)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैनें/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि कुलसचिव, **महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर** का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्था/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीक स्वरूप बिड प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय शील) कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाय तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बिड़ को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा एवं नियमानुसार अन्य समस्त कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांक:

निविदादाता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता व मो. नम्बर

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

तकनीकी बिड

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित होने वाले चतुर्थ दीक्षान्त समारोह हेतु टेन्ट व्यवस्था बाबत।

निविदादाता द्वारा निम्न सूचना/दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवष्यक है:–

1. निविदादाता यथा संस्था, फर्म या ऐजेन्सी संबंधित कार्य के लिए सक्षम निकाय से पंजीकृत होना चाहिए, नवीनतम पंजीकरण की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है।
2. निविदादाता को इस प्रकार के कार्य करने का एक या अधिक राजकीय विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह के आयोजन हेतु डोम संरचना में वाटरप्रूफ टेन्ट लगाने का अनुभव भी होना चाहिए तथा लगाई जाने वाली सामग्री का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिये।
3. बयाना/अमानत राशि रू. .....रसीद नं. .....दिनांक..... संलग्न होनी चाहिए।
4. पंजीयन प्रमाण पत्र /जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण पत्र , संलग्न किया जाना है।)
5. निविदा फर्म/कम्पनी है तो कम्पनी पंजीयन प्रमाण पत्र तथा साझेदारी फर्म है तो साझेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।

कुलसचिव
मोहर
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,

बीकानेर

निविदाकार के हस्ताक्षर मय

पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर

Kuldeep Jain

(8)

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

वित्तीय बिड

क्रमसं0 1	कार्य का विवरण 2	Qty (Estimated) 3	Unit (FOR M.G.S. Uni. Bikaner Rate) 4	Rate per item per day to be Quoted (including all Charges and taxes) 5	Amount 6
1	P&F and Removing of Dom Type water proof super structure with new white cloth for sitting area Convocation ground 80' x 160'	14400	Sqft.		
2	Generator Set 125 KVA Silent without POL/Diesel	3.00	Nos.		
3	Disel for generator	Per Hours Diesel			
4	Helogen Light 500 Watt 1000 Watt	60.00	Nos.		
5	Metal Light 400 Watt	25.00	Nos.		
6	Border Bulb for Building Decoration	4000.00 (Bulb)	Nos.		
7	Cable 4 Core 25 mm 50 Mtr. long	15.0	Nos.		
8	Pipe pandal water proof	4500.00	Sqft.		
9	Curtain Cloth (View Cutter)	3600.00	Sqft.		
10	Wooden Table with Cover and Frill 6' x 2'	40.00	Nos		
11	One Dies for seven persons with leather chair and with Blue Blezer	01.00	Nos		
12	Pyramid Shape water Proof canopy 15' x 15' Ft for Hi-tea	6.00	Nos.		
13	Round table with Cover and Frill for Hi-tea 4' dia Radius 2'	10.00	Nos.		
14	Welcome Gate of Truss 9x9 Having size of 12x12 with tri colour cloth	2.00	Nos.		
15	Ply Stage for Bom, Syndicate and senet Members 12x24 ft. with carpet frill and steps	2.00	Nos.		
16	Dressing Table 4' x 2'	2.00	Nos		
17	Center table with cover 4' x 2'	4.00	Nos		
18	Wooden high back paded chair with red velvet seat cover chair for His Excellency the Governor	2.00	Nos.		

Kuldeep Jain

19	Tower A.C./ Three Ton	9.0	Nos		
20	Celling Fan 48"	70.00	Nos		
21	Pedestal Fan	20.00	Nos		
22	50 mm 6 mtr. long Galvanized iron pipe with coloured silk flag	100.00	Nos.		
23	White leather sofa (Two Chair Set)	50.00	Nos.		
24	Non-Woven Synthetic New Carpet (Red/Green)	10000.00	Sqft.		
25	Benquet chair with white Synthetic cover (Steel pipe peded chair with while cover)	1000.00	Nos.		
26	Woolen Carpet Size	3200.00	Sqft.		
27	Mobile toilet for V.I.P. 4.5' x4.5' x 5.5'	02	Nos.		
28	Mike, sound System	As Per Dom Pandal	Nos.		
29	LED	02	Nos.		

उक्त दरों व संलग्न शर्तों के अनुसार कार्य करने की सहमति देता हूँ। उक्त सभी दरें सर्विस टैक्स के अतिरिक्त, समस्त व्ययों एवं एफ.ओ.आर. महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ,बीकानेर होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

फर्म का नाम...

एवं डाक का पूरा पता...

पता...

....

मोबाईल नं0 ....

Kuldeep Jain

(10)

अनुलग्नक–"अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराहकरनेका प्रयास करता हो

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Kuldeep Jain

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के-खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षें में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : .....

तारीख : .....

निविदादाता के हस्ताक्षर

(12)

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर
द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।
   अर्थातः

   क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण
   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण
   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

Kuldeep Jain

4. **अपील का प्ररूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाइल करने के लिए फीस.**–

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.**–

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रवियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....
(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष
1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
(i) अपीलार्थी का नाम :..
....
(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :...
....
(iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
(i)
(ii) .
(iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :
6. अपील का आधार :
....
....
....
.... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : ....
....
....
स्थान : ....
तारीख : ....
अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Kuldeep Jain

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी हैं, ऐसे मामले में उत्कथित कुल

मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी

होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.**– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. **. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.**

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है । स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत

Collector Jain

के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत
नहीं समझा जायेगा।

16

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Kuldeep Jain